संख्या:46/2026/919/2026/2065360/12-2099/11/2026-पार्ट (1)

प्रेषक,

रविन्द्र,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 04 अगस्त, 2026**

विषयः- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2026-27 के खरीफ व रबी मौसम में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं कल्याण विभाग के पत्र संख्या-18011/02/2023-Cr.II-Part(3) (FTS-189883) दिनांक 26.05.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना वर्ष 2026-27 हेतु क्रियान्वयन के सम्बन्ध में एडवायजरी जारी की गयी है।

2. भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना वर्ष 2026-27 हेतु क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जारी की गयी एडवाइजरी के क्रम में कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित "राज्य स्तरीय समन्वय समिति"(SLCCCI) की बैठक दिनांक 02.06.2026 में लिए गये निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या 743/2026/2009478/12-2099/11/2026 दिनांक 11 जून, 2026 निर्गत किया गया है।

3. इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार की एडवायजरी के अनुरुप प्रथम विकल्प अर्थात वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 हेतु चयनित बीमा कम्पनियों को ही वर्ष 2026-27 के खरीफ एंव रबी मौसम हेतु चयन करते हुये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्याः-57/2023/1035(2)476477/12-2-2023/60(3)/2016 दिनांक 15.07.2023 एवं पुनर्गठित मौसम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आधारित फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्याः-56/2023/1035/476477/12-2-2023/60(3)/2016 दिनांक 15.07.2023 द्वारा जारी अधिसूचना में निहित प्राविधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. तत्क्रम में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2026-27 के खरीफ एवं रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश के जनपदों में कड़ाई से लागू किया जाये।

भवदीय

रविन्द्र

प्रमुख सचिव।

संख्या:46(1)/2026/919/2026/2009478/12-2099/11/2026-पार्ट(1) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव,भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. संयुक्त सचिव,भारत सरकार एवं सी.ई.ओ. (PMFBY), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त के सम्बन्ध में NCIP पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था कराने का कष्ट करें।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उद्यान, वित्त, सहकारिता, नियोजन एवं राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. सचिव एवं राहत आयुक्त, उत्तरप्रदेश।
5. गन्ना आयुक्त, उत्तरप्रदेश, न्यू बेरी रोड, गन्ना संस्थान, डालीबाग, लखनऊ।
6. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तरप्रदेश, लखनऊ।
7. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तरप्रदेश, 14-विधानसभामार्ग, लखनऊ।
8. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
9. कृषि निदेशक, उत्तरप्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
10. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तरप्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
11. निदेशक, उद्यान, उद्यान भवन, सप्रूमार्ग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करें द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
12. महानिदेशक, संस्थागत वित्त एवं बाह्य् सहायतित परियोजना महानिदेशालय, 16-विधान सभा मार्ग, लखनऊ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

13. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरप्रदेश को-आपरेटिव बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, 2-महात्मा गाँधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
14. निदेशक, भारतीय मौसम विभाग, अमौसी एयरपोर्ट, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
15. निदेशक, रिमोट सेन्सिंग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश ।
16. महाप्रबन्धक, ग्रामीण आयोजना एवं ऋण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, 8-9, विपिनखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
17. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), 11-विपिन खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
18. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति प्रकोष्ठ (SLBC), बैंक आफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, बड़ौदा हाउस, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
19. अध्यक्ष सहप्रबन्ध निदेशक, एग्रीकल्चर इन्ष्योरेंस कम्पनी आफ इण्डिया लि0, अम्बादीप, 13वीं मंजिल, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
20. प्रबन्ध निदेशक, इफको टोकियो जनरल इन्ष्योरेंस कम्पनी लि0, इफकोटावर, पंचमतल, प्लाट नं0-3, सेक्टर-29, गुडगांव द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
21. नेशनल मैनेजर, एस.बी.आई. जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0, 'नटराज'-101, 201 व 301, जंक्षन आफवेस्टर्न-एक्सप्रेस हाईवे तथा अंधेरी-कुरला रोड क्रासिंग, अंधेरी (पूर्व) मुंबई द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
22. मुख्य विपणन अधिकारी, यूनीवर्सल सोमपो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0, यूनिट नं0-401, चतुर्थतल, संगम काम्पलेक्स, 127 अन्धेरी, कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
23. प्रबन्ध निदेशक, एच0डी0एफ0सी0-एरगो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0, छठवां तल, लीला बिजनेस पार्क, अन्धेरी, कुर्ला रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुम्बई द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
24. महाप्रबन्धक, इडिण्यन बैंक, जोनल कार्यालय, सेन्ट्रल जोन, नरही, हजरतगंज, लखनऊ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
25. उप महाप्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, विधान सभा मार्ग, लखनऊ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

26. सहायक महाप्रबन्धक, केनरा बैंक, सर्किल आफिस,विपिन खण्ड,गोमती नगर,लखनऊ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
27. मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया, केन्द्रीय क्षेत्र, 4-बी, हबीबुल्लाह स्टेट, लखनऊ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
28. उप मुख्य अधिकारी, इण्डियन ओवर सीज बैंक, तीसरी मंजिल, नवचेतना केन्द्र, 10-अशोक मार्ग, लखनऊ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
29. उप महाप्रबन्धक, रीजनल कार्यालय, यूनियन बैंक आफइण्डिया, शारदाटावर, द्वितीय तल, कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
30. सहायक महाप्रबन्धक, पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, आंचलिक कार्यालय, 8-ज्वाला बिल्डिंग, लालबाग, लखनऊ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
31. महाप्रबन्धक (प्रशासन) भारतीय स्टेटबैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोती महल मार्ग, हजरतगंज लखनऊ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
32. महाप्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, 1-मोती महलमार्ग, हजरतगंज लखनऊ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
33. मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं कृषि), बैंक आफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय (पश्चिमी उत्तर प्रदेश), पोस्टबाक्स नं0-363, विश्व शान्ति काम्पलेक्स, देहली रोड, मेरठ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
34. उप महाप्रबन्धक, बैंकऑफबड़ौदा, जोनलकार्यालय, पोस्टबाक्स नं0-198, पहलीमंजिल, जीवन बीमा विनियोग भवन, 45-हजरतगंज, लखनऊ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
35. महाप्रबन्धक यूनियन बैंक आफ इण्डिया यूनियन बैंक भवन निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
36. सहायक महा प्रबन्धक बैंक आफ महाराष्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, प्लाट नं0-12, महानगर नार्थ हाउसिंग को-आपरेटिव सोसाइटी,सेक्टर-9 विकास नगर लखनऊ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
37. सहायक महाप्रबन्धक, बैंक आफ इण्डिया,जोनल कार्यालय,स्टार हाउस, विभूति खण्ड,गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
38. क्षेत्रीय प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, कोतवाली के सामने, हजरतगंज, लखनऊ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
39. क्षेत्रीय प्रबन्धक, ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स, अंचल कार्यालय, महात्मा गाँधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

40. सर्किल हेड, पंजाब नेशनल बैंक,जोनल बैंक, जोनल कार्यालय, 9-विभूतिखण्ड,गोमतीनगर लखनऊ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
41. सर्किलहेड एक्सिस बैंक लि0, प्रथम तल,प्लाट नं0-जी-4/5-बी, सेक्टर-4 गोमती नगर विस्तार, शहीद पथ, लखनऊ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
42. महाप्रबन्धक, आई0डी0बी0आई0 बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, नार्थ-11, किसान सहकारी भवन, तृतीय तल, 2-महात्मा गांधी मार्ग, हजरतगंज लखनऊ द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
43. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
44. समस्त सांख्यिकी अधिकारी, मण्डलायुक्त कार्यालय, उत्तरप्रदेश द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
45. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तरप्रदेश द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
46. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
47. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, समस्त जनपद, उत्तरप्रदेश द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
48. सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी,जिला सहकारी बैंक लि0, सम्बन्धित जनपद, उत्तरप्रदेश द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
49. प्रबन्धक, लीड बैंक (शीर्ष बैंक), समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश।
50. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

रविन्द्र

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।